न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1970–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 17–04–13 पारित अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 82/बी–121/12–13 (तहसीलदार का प्रकरण).

लल्लू तनय भूरे दीक्षित,
निवासी ग्राम कदौहा, तह0 राजनगर,
जिला छतरपुर, म0प्र0

--- आवेदक

विरूध्द

श्रीमती कमलादेवी बेवा छोटेलाल दीक्षित,
निवासी ग्राम विजावर, तह0 विजावर
जिला छतरपुर, म0प्र0

--- अनावेदक

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक – आवेदक
श्री एम0पी0 भटनागर, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 21.8. ,2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर जिला छतरपुर के तहसील के प्रकरण कमांक 82/बी–121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 17–04–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक लल्लू ने मृत छोटेलाल दीक्षित व्दारा निष्पादित वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर अनावेदक कमला देवी व्दारा मृत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1970–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 17–04–13 पारित अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 82/बी–121/12–13 (तहसीलदार का प्रकरण).

लल्लू तनय भूरे दीक्षित,
निवासी ग्राम कदौहा, तह0 राजनगर,
जिला छतरपुर, म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

श्रीमती कमलादेवी बेवा छोटेलाल दीक्षित,
निवासी ग्राम विजावर, तह0 विजावर
जिला छतरपुर, म0प्र0

—— अनावेदक

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक – आवेदक
श्री एम0पी0 भटनागर, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 26.8. ,2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर जिला छतरपुर के तहसील के प्रकरण कमांक 82/बी–121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 17–04–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक लल्लू ने मृत छोटेलाल दीक्षित व्दारा निष्पादित वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर अनावेदक कमला देवी व्दारा मृत

की बेवा होने से आपत्ति प्रस्तुत की गयी। आवेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदनपत्र तहसीलदार ने अपने दिनांक 27–02–13 व्दारा प्रचलन योग्य नहीं होने से खारिज किया। आवेदक व्दारा संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17–4–13 व्दारा अधिनस्थ न्यायालय अपनायी गयी प्रकिया विधिसम्मत होने से पुनर्विलोकन की आवश्यकता नहीं होने से प्रकरण खारिज किया। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक व्दारा अभिलिखित भूमिस्वामी छोटेलाल व्दारा निष्पादित वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया था। तहसीलदार व्दारा वसीयत पर साक्ष्य प्रति–साक्ष्य लिये बिना नामान्तरण आवेदनपत्र खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है। उनका तर्क था कि आवेदक व्दारा पुनर्विलोकन आवेदनपत्र तहसील न्यायलय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार व्दारा पुनर्विलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी से चाहे जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना पुनर्विलोकन की आवश्यकता नहीं होना निर्धारित किया है, जो सही नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक व्दारा तहसीलदार के आदेश के विरूध्द अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है जो विचाराधीन है। अनुविभागीय अधिकारी के अपील प्रकरण के विरूध्द

राजस्व मण्डल में निगरानी क0 1565/तीन–14 प्रस्तुत की गयी और राजस्व मण्डल व्दारा आदेश दिनांक 23–5–14 व्दारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश देते हुए अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण का निराकरण तीन माह में करने के आदेश दिये हैं। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी के पुनर्विलोकन अनुमति निरस्ती के आदेश के विरूध्द प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा अनावेदक व्दारा प्रस्तुत इस तर्क का खण्डन नहीं किया है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–02–13 के विरूध्द आवेदक व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–2–13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार व्दारा उभय पक्ष को सुनने के पश्चात नामान्तरण आवेदन खारिज किया है। तहसीलदार का यह आदेश अपील योग्य है तथा आवेदक व्दारा तहसीलदार के आदेश के विरूध्द अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील भी प्रस्तुत की गयी है जो विचाराधीन होना बताया गया है। संहिता की धारा 51 में उल्लखित आधारों में से पुनर्विलोकन का कौन–सा आधार है, इस संबंध में तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 18–3–2013 में कोई उल्लेख नहीं किया है और ना ही बहस के समय आवेदक के अभिभाषक व्दारा बताया गया। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पुनर्विलोकन अनुमति आदेश दिनांक 17–04–13 व्दारा खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अनुविभागीय अधकारी का आदेश दिनांक 17–04–13 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0

राजस्व मण्डल में निगरानी क0 1565/तीन–14 प्रस्तुत की गयी और राजस्व मण्डल व्दारा आदेश दिनांक 23–5–14 व्दारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश देते हुए अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण का निराकरण तीन माह में करने के आदेश दिये हैं। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी के पुनर्विलोकन अनुमति निरस्ती के आदेश के विरूध्द प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा अनावेदक व्दारा प्रस्तुत इस तर्क का खण्डन नहीं किया है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–02–13 के विरूध्द आवेदक व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–2–13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार व्दारा उभय पक्ष को सुनने के पश्चात नामान्तरण आवेदन खारिज किया है। तहसीलदार का यह आदेश अपील योग्य है तथा आवेदक व्दारा तहसीलदार के आदेश के विरूध्द अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील भी प्रस्तुत की गयी है जो विचाराधीन होना बताया गया है। संहिता की धारा 51 में उल्लखित आधारों में से पुनर्विलोकन का कौन–सा आधार है, इस संबंध में तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 18–3–2013 में कोई उल्लेख नहीं किया है और ना ही बहस के समय आवेदक के अभिभाषक व्दारा बताया गया। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पुनर्विलोकन अनुमति आदेश दिनांक 17–04–13 व्दारा खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अनुविभागीय अधकारी का आदेश दिनांक 17–04–13 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0